अनुबंध 1: इस परिपत्र को जारी करने की तिथि को लागू नियामकीय पूंजीगत आवश्यकताएं

(परिपत्र के पैराग्राफ 5 का संदर्भ ग्रहण करें)

नीचे दी गई तालिका में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की विभिन्न श्रेणियों के लिए परिपत्र जारी करने की तिथि को लागू पूंजीगत आवश्यकताओं की सूची दी गई है। ये भविष्य में परिवर्तन के अधीन हैं और इसलिए लाभांश घोषित करते समय, विचाराधीन अवधि पर लागू आवश्यकताओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

क्र. सं.	एनबीएफसी की श्रेणी	पूंजीगत आवश्यकताएं	संदर्भ
1.	प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली (एनबीएफ़सी-एनडी) (सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) और अवसंरचना वित्त कंपनियों (आईएफसी) को छोड़कर)	लीवरेज अनुपात 31 मार्च, 2015 से किसी लागू एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएफआई और एनबीएफसी-आईएफसी को छोड़कर) का लीवरेज अनुपात किसी भी समय 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से सोने के आभूषणों के बदले में ऋण देने वाली एनबीएफसी के संबंध में (ऐसे ऋण जो उनकी वित्तीय आस्तियों का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होता है) न्यूनतम टियर I पूंजी 12 प्रतिशत बनाए रखेंगे।	मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैराग्राफ 6
2.	जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (एनबीएफ़सी-डी) और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (एनबीएफ़सी-एनडीएसआई) (सभी आईएफ़सी सहित किन्तु एमएफआई और अवसंरचना कर्ज निधियों (आईडीएफ़) को छोड़कर)	(क) प्रत्येक लागू एनबीएफसी में न्यूनतम पूंजी, जिसमें टीएर-I और टीएर II शामिल हैं, इसके तुलन पत्र की सकल जोखिम भारित आस्तियों और तुलन पत्र से इतर मदों की जोखिम समायोजित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। (ख) लागू एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएफआई और एनबीएफसी-आईडीएफ को छोड़कर) के संबंध में टीएर I पूंजी किसी भी समय 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। (ग) मुख्य रूप से सोने के आभूषणों के बदले में ऋण देने वाली एनबीएफसी के संबंध में (ऐसे ऋण जो उनकी वित्तीय आस्तियों का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होता है) न्यूनतम टियर I पूंजी 12 प्रतिशत बनाए रखेंगे।	मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैराग्राफ 6
3.	एमएफ़आई	एनबीएफसी-एमएफ़आई की टीएर-I और टीएर II पूंजी पर्याप्तता अनुपात इसके सकल जोखिम	मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -

क्र. सं.	एनबीएफसी **की** श्रेणी	पूंजीगत आवश्यकताएं	संदर्भ
		भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। टीएर II पूंजी किसी भी समय टीएर I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैराग्राफ 55
4.	एनबीएफ़सी-आईडीएफ़	आईडीएफ़-एनबीएफ़सी का न्यूनतम सीआरएआर 15 प्रतिशत होना चाहिए और आईडीएफ़-एनबीएफ़सी का टीएर II पूंजी टीएर I से अधिक नहीं होनी चाहिए।	मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैराग्राफ 51
5.	कोर निवेश कंपनियां	समायोजित निवल मूल्य किसी सीआईसी का समायोजित निवल मूल्य किसी भी समय वित्तीय वर्ष की अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि को तुलन पत्र पर कुल जोखिम भारित आस्तियों और तुलन पत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 30% से कम नहीं होना चाहिए। लिवरेज अनुपात सीआईसी की बाहरी देनदारियां किसी भी समय वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार इसके समायोजित निवल मूल्य के 2.5 गुना से अधिक नहीं होंगी।	मास्टर निदेश- कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का पैराग्राफ 8 और 9
6.	आवास वित्त कंपनी	प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, न्यूनतम पूंजी - टियर I और टियर II पूंजी मिलकर- का कुल जोखिम भारित आस्तियों और तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य से अनुपात निरंतर आधार पर बनाए रखेगी जो निम्न से कम नहीं होगी - 31 मार्च 2020 को 13 प्रतिशत	मास्टर निदेश गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक), निदेश, 2021 के पैराग्राफ 6

क्र. सं.	एनबीएफसी **की** श्रेणी	पूंजीगत आवश्यकताएं	संदर्भ
		- 31 मार्च 2021 को 14 प्रतिशत और - 31 मार्च 2022 और उसके बाद 15 प्रतिशत टियर I पूंजी, किसी भी समय, 10 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी समय टियर II पूंजी का कुल योग, टियर I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।	
7.	बंधक गारंटी कंपनी	(क) एक बंधक गारंटी कंपनी टियर I और टियर II पूंजी से युक्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखेगी जो बैलेंस शीट पर अपनी कुल जोखिम भारित संपत्ति और ऑफ-बैलेंस शीट मद के जोखिम समायोजित मूल्य के दस प्रतिशत (10%) या कोई अन्य प्रतिशत जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जा सकता है से कम नहीं होगी। (ख) एक बंधक गारंटी कंपनी ऑन बैलेंस शीट के अपनी कुल जोखिम भारित संपत्ति और ऑफ-बैलेंस शीट मदों के जोखिम समायोजित मूल्य का कम से कम छह प्रतिशत (6%) टीयर I पूंजी के रूप में बनाए रखेगी। (ग) किसी भी समय टियर II पूंजी का कुल योग टियर I पूंजी के सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।	मास्टर निदेश – बंधक गारंटी कंपनी (रिज़र्व बैंक), निदेश, 2016 के पैराग्राफ 9
8.	पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म	एनबीएफसी-पी2पी 2 से अधिक लिवरेज अनुपात बनाए नहीं रखेगा।	मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्त कंपनी-पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक), निदेश, 2017 के पैराग्राफ 7(1)
9.	खाता संग्रहक	कंपनी का लीवरेज अनुपात सात से अधिक नहीं होगा।	मास्टर निर्देश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - खाता संग्रहक (अकांउट एग्रीगेटर) रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 का पैराग्राफ 4.2

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एनबीएफसी की श्रेणी</th><th>पूंजीगत आवश्यकताएं</th><th>संदर्भ</th></tr>
<tr><td>10.</td><td>सरकारी एनबीएफ़सी</td><td>एनबीएफ़सी-एनडी
एनबीएफ़सी-एनडी पर यथा लागू लीवरेज अनुपात - सरकारी एनबीएफ़सी-एनडी एनबीएफ़सी-एनडीएसआई और एनबीएफ़सी-एनडी द्वारा 31 मार्च 2022 तक अनुपालन हेतु तैयार किए जानेवाला रोडमैप
<table>
<tr><th>अपेक्षा</th><th>दिनांक</th></tr>
<tr><td>10% (न्यूनतम टियर I-7%)</td><td>मार्च 31, 2019</td></tr>
<tr><td>12% (न्यूनतम टियर I -8%)</td><td>मार्च 31, 2020</td></tr>
<tr><td>13% (न्यूनतम टियर I -9%)</td><td>मार्च 31, 2021</td></tr>
<tr><td>15% (न्यूनतम टियर I -10%)</td><td>मार्च 31, 2022</td></tr>
</table>
सरकारी एनबीएफसी जो पहले से ही उनके द्वारा प्रस्तुत रोड मैप के अनुसार विवेकपूर्ण विनियमन का अनुपालन कर रही हैं, उसको जारी रखेंगी।</td><td>डीएनबीआर(पीडी) सीसी सं.092/03.10.001/2017-18 दिनांक मई 31, 2018</td></tr>
</table>